राजस्थान सरकार

# न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली(राज0)

*पीठासीन अधिकारी सुदर्शनसिह तोमर आर.ए.एस*

मुकदमा नम्बर 08/018 आर सी एम सए नं0 2018/00031 तारीख रजू 20.02.2018

लक्ष्मी पुत्री लच्छी जाति जाटव निवासी धंधावली, पत्नि मोहन हाल निवासी जमालपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली :—अपीलान्ट

बनाम

1 रामनिवास पुत्र सरबन जाति जाटव निवासी धंधावली तहसील हिण्डौन जिला करौली

2 अमरसिंह पुत्र प्रहलाद जाति जाटव निवासी धंधावली तहसील हिण्डौन

3 दिलकेश पुत्र प्रहलाद जाति जाटव निवासी धंधावली तहसील हिण्डौन

4 राजकुमारी पुत्री सरमन पत्नि जगदीश जाति जाटव निवासी धंधावली तहसील हिण्डौन

5 किरनदेई पुत्री सरमन पत्नि चरण जाति जाटव निवासी धंधावली तहसील हिण्डौन

6 सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डौन सिंटी जिला करौली

— रेस्पोडेण्ट

## अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 518 दिनांक 16.12.2004 ग्राम धंधावली तहसील हिण्डौन

उपस्थितिः— 1 श्री एस.एल. चौधरी वकील अपीलान्ट

2 पैरोकार सरकार तहसीलदार

निर्णय दिनांकः—04.12.2019

वाकेयत इस प्रकार है कि वकील अपीलान्ट ने राजस्थान भू— राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत रेस्पोडेण्ट के खिलाफ अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि नामान्तकरण संख्या 518 दिनांक 16.12.2004 को तहसीलदार हिण्डौन ने प्रशासन गावो के संग कैम्प मे गलत एवं मनमाना साजिसान ढंग से भरा गया है। मृतक के वारिसो की कोई जॉच नही कराई गई है अपीलान्ट व रेस्पोडेण्ड नं. 1 ता 5 के खानदान सजरा अनुशार मृतक के पूर्वज बाबा श्रवण के मरने के बाद जायज कानूनी वारीस रमेश,रामनिवास प्रहलाद व लच्छी ये चार पुत्र व तीन पुत्रीया राजकुमारी, गीता,किरनदेई तथा एक वेवा किशनी कुल आठ वारीसान थे लेकिन नामान्तकरण खोलते समय सही जॉच नही करते हुए अपीलान्ट के पिता लच्छी की जगह प्रार्थीया का नाम अंकित नही करते हुए अन्य के नाम दर्ज रिकॉर्ड कर दिया है। जबकि भूमि में अपीलान्ट का हिस्स 1/8 बनता है वर्तमान मे रमेश पुत्र सरवन किशनी वेवा सरवन गीता पुत्री सरवन फॉत हो चुके है इस लिये सजरे के मुताबिक अपीलान्ट का हिस्सा 1/5 बनता है अपीलान्ट के मृतक बाबा सरवन का विरासत का नामान्तकरण से पूर्व ही अपीलान्ट का पिता लच्छी का भी स्वर्गवास हो गया तव उस समय अपीलान्ट की उम्र छोटी थी ओर विरासत का नामान्तकरण मे अपीलान्ट के पिता लच्छी के स्थान पर मेरा नाम दर्ज करना चाहिए था किन्तु ऐसा नही करके गलत नामान्तकरण दर्ज किया गया है इस नामान्तकरण की जानकारी मुझे दिनांक 05.01.2018 को हुई ततसमय नियमानुशार नकल ली जाकर वकील से सलाह मसुरा करके अलग से दफ 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया है।

अपील अपीलान्ट दर्ज पंजिका कर जरिये नोटिस रेस्पोडेण्ट को तलव किया गया जिसमे रेस्पोडेण्ट नं. 1 ता 5 की विधिवत तामील होने पर नियत दिवश को उपस्थित नही आये। रेस्पोडेण्ट नं. 6 पेरोकार सरकार उपस्थित आया।

उभयपक्षकार अभिभाषकगण एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वकील अपीलान्ट ने अपने बहस कथन मे अपील मीमो को दोहराते हुए कथन कहा कि मृतक सरवन के चार पुत्र व तीन पुत्रीयॉ तथा एक वेवा थी जिसके कुल आठ वारिस थे किन्तु नामान्तकरण दर्ज करते हुए विरासत की जॉच नही करते हुए अपीलान्ट के पिता जो कि

सरवन से पूर्व ही स्वर्गवास हो गया था उसके नाम कोई भूमि दर्ज नही की गई है अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमावे।

पैरोकार सरकार ने दोराने बहस कथन में दोराने नामान्तकण दर्ज करते समय राजस्व अभियान मे दर्ज किया गया है जिसका दोराने आम जन ने जो वारिस बताये गये है उसी अनुशार दर्ज किया है। जिसका सजरा नामान्तकरण पुष्ठ पर अंकित किया हुआ है। अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने बकील अपीलान्ट एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध रिकॉर्ड एवं नामान्तकरण संख्या 518 निर्णय दिनांक 16.12.2004 का अवलोकन करने पर पाया गया कि पटवारी हल्का द्वारा सरवन पुत्र परमा के फॉत हो जाने पर प्रसाशन गॉव के संग अभियान मे नामान्तकरण दर्ज किया गया है जिसमे नामान्तकरण के पुष्ठ पर अंकित सजरे मे अपीलान्ट के पिता लच्छी का नाम दर्ज नही किया गया है जो कि मुताबिक डॉ भीमराव अम्बेडकर विकास मंच ग्राम धंधावली के पत्र मे वर्णित सरवन के चार पुत्र बताये गये है इस सभी का हिस्सा बरावर–बरावर का होना बताया है साथ हि राजकीय उच्य प्राथमिक विद्याालय धधांवली के प्रमाण पत्र के अनुसार लक्ष्मीदेवी जाटव पुत्री लक्खीराम ने वर्ष1992–93 मे कक्षा 1 में अध्यन किया गया है जिसकी जन्म दिनांक 18.08.1986 एस. आर. नं. 728 पर दर्ज है तथा मृत्यू प्रमाण पत्र के अनुसार लच्छी की वेवा वुद्वो की मृत्यू दिनांक 01. 01.1980 को हो गई है। तथा मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति मे ग्राम धंधावली के क्रम संख्या 125 पर अपीलान्ट के पिता लच्छी पुत्र सरवन अंकित किया हुआ है जिससे विधित हो रहा है कि मृतक के वारिसो की सही जानकारी नही की जाकर मौखिक तोर पर विना सजरा प्रमाणित कराये नामान्तकरण दर्ज किया गया है जो विधि विरूद्व है। अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा नामान्तकरण संख्या 518 निर्णय दिनांक 16.12.2004 वाके ग्राम धंधावली तहसील हिण्डौन का अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार हिण्डौन को रिमाण्ड कर निर्देश दिये जाते है कि उभयपक्षकारो को विधिवत सूचना जारी करते हुए ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मजमे आम में वारिसो को विधिवत सुना जावे ओर विधि अनुसार गुणावगुण के आधार पर दो माह की अवधि मे प्रकरण का निस्तारण करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(सुदर्शन सिह तोमर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2020.01.21 16:16:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: